educational policy is to equalise educational opportunity. Government, therefore, has made and will continue to make intensive effort to equalise educational opportunity and to spread education more rapidly among girls, Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other economically handicapped or weaker sections of the society. This is proposed to be done through:

(1) Balanced development of educational facilities among the different regions of the country;

(2) Special emphasis and programmes for the development of education among girls and women;

(3) Special emphasis and programmes of education of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(4) Special emphasis and programmes of education of the weaker sections of the community and economically handicapped groups of society;

(5) Special emphasis and programmes of scholarships, stipends, free clothing and text books, subsidized hostel facilities, opening of Ashram Schools and other special facilities like reservation of seats for scheduled castes and scheduled tribes in all educational institutions.

केसरी दाल की बिक्री पर रोक

3382. श्री भागीरथ भवर : क्या कृषि मंत्री केसरी दाल की बिक्री पर रोक लगाने के बारे में 19 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1188 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केसरी दाल की बिक्री पर रोक लगाने के बारे में हिमाचल प्रदेश तथा अन्य राज्यों से सूचना एकत्रित कर ली है;

(ख) यदि नहीं, तो लोगों की ज़िन्दगी को देखते हुए इसमें विलंम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) केसरी दाल के प्रयोग के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना अधिकांश राज्य सरकारो से इकट्ठी की गई है । कुछेक राज्य सरकारों ने अभी तक उत्तर नही भेजा है जोकि विलम्ब का कारण है । उपलब्ध सूचना के अनुसार, निम्नलिखित राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के नियम 44 ए के अधीन केसरी दाल की बिक्री पर रोक लगा दी है (1) आन्ध्र प्रदेश (2) असम (3) हरियाणा (4) हिमाचल प्रदेश (5) केरल (6) महाराष्ट्र (7) कर्नाटक (8) नागालैण्ड (9) उड़ीसा (10) पंजाब (11) राजस्थान (12) तमिल नाडु (13) त्रिपुरा (14) उत्तर प्रदेश (15) अण्डेमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (16) दादरा तथा नगर हवेली (17) दिल्ली (18) पांडिचेरी ।

केसरी दाल की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने का कारण यह है कि इसके लगातार प्रयोग से मनुष्य को खटारी-मटरी रोग (लैथीरिज्म) हो जाता है ।